I/35363/2023

Phone & Fax no. 0135-2658294 E-mail: cfshiwa-forest-uk@nic.in

कार्यालय वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः- जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना के अंतर्गत पोखाल मांडलु मार्ग से खमाणा, (स्टेज-1) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.628हे वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (Online Proposal no. FP/UK / ROAD /41658/2019)

संदर्भः- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र संख्या-08बी / यू०सी०पी०/06/20/2020/एफ०सी०/ 280 दिनांक 25.05.2022.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लैन्सडौन ने अपने कार्यालय पत्रांक की पत्र संख्या- 415/12-1 दिनांक 04/09/2023 से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत पोखाल मांडलु मार्ग से खमाणा (स्टेज-1) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.628 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा लगाई गई आपत्तियों के निस्तारण हेतु निम्न प्रकार संसोधित सूचना इस कार्यालय को प्रस्तुत कराई गई है:-

क्र०स०	आपत्ति	निस्तारण
1	आपत्ति सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं0 3 (ख) के सापेक्ष में अधिसूचना से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न के रूप में इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि मंत्रालय द्वारा दिये गये दिशानिर्देश के पैरा 24 (प) के अनुसार, विधिवत स्वीकृति से पूर्व भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र (सिविल और सोयम भूमि) को आरक्षित वन / संरक्षित वन के रूप में कृपया अधिसूचित करवाकर प्रमाण पत्र इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी, गढवाल के आदेश सं0-आर-453/8-एल0 ए0 सी0-(2020-2021) दिनांक 20.11.2020 से वन विभाग के पक्ष में नामान्तिरित/ हस्तान्तरित सिविल भूमि को शासनादेश-1566/14-2-97-800(11)/1997 दिनांक-17.03.1997 के क्रम में इस कार्यालय द्वारा सिविल और सोयम भूमि को आरक्षित /संरक्षित वन घोषित सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है (संलग्न -1)
2	सी.ए. क्षेत्र के mutation से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न के रूप में इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि सी.ए. क्षेत्र का उनजंजपवद प्रमाण पत्र इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें	प्रस्तावक विभाग द्वारा सी.ए. क्षेत्र के mutation से संबंधित प्रमाण पत्र मूल में संलग्न कर प्रेषित है (संलग्न -2)
3	राज्य सरकार से अनुरोध है कि खतौनी की मूल प्रति इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करे।	प्रस्तावक विभाग द्वारा खतौनी की प्रति मूल में संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्न-3)
4	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं0 3 (ग) के सापेक्ष में यह अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का पालन किया जायेगा जोकि मान्य नही है अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि संबंधित वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र	इस वन प्रभाग द्वारा सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नही किया गया है जिसका प्रमाण पत्र सलग्न कर प्रेषित है (छायाप्रति संलग्न -4)

Generated from eOffice by GUNJAN SUYAL, JA-GUNJANSUYAL, JUNIOR ASSISTANT, FOREST DEPT on 13/09/2023 12:09 pm

	प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	
5	राज्य सरकार धनराशि रू0 1097871/- हेतु संशोधित सी.ए. स्कीम इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करे।	इस वन प्रभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि रू0 1097871 / का प्राक्कलन सलंग्न है। (छायाप्रति संलग्न–5)

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार (2 प्रति)

भवदीय
Signed by Rajiv Dhiman
Date: 13-09-2023 11:23:52
(राजीव धीमान)
वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, देहरादून।

पत्रांकः–1/35363/ तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लैन्सडौन।
2. अधिशासी अभियंता, एन0पी0सी0सी0 लिमिटेड पी0आई0यू0–दुगड्डा, पौडी गढवाल।

(राजीव धीमान)
वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, देहरादून।

संलग्न -1

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौडी गढवाल के अन्तर्गत पौखाल माण्डलू से खमाणा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.628 है0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किया जाना है। उपरोक्त कार्य हेतु ग्राम खमाणा, पट्टी मल्ला डांगू–1, तहसील जाखणीखाल जिला पौडी गढवाल के नॉन0 जेड0 ए0 श्रेणी 9(ख) खाता सं0 5 के खसरा न0 3411 रकवा 3.259 है0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी गढवाल के पत्र सं0 आर0 453/8–एल0ए0सी0–(2020–21) दिनांक 20.11.2020 के द्वारा वन विभाग को हस्तान्तरित की गई है। अधिसूचना सं0 869/एफ0/638 दिनांक 17.10.1893 तथा उत्तर प्रदेश शासन की पत्र सं0 1566/14–2–97–800(II)/1997 दिनांक 17.03.1997 के अन्तर्गत यह भूमि संरक्षित वन है उक्त भूमि का नामान्तरण आदेश राजस्व विभाग से वन विभाग के पक्ष में कर दिया गया है। इसकी वर्तमान स्थिति संरक्षित वन की है जिसे पुनः संरक्षित वन घोषित करने की आवश्यकता नही है।

C.S

वन संरक्षक
शिवालिक वृत्त
उत्तराखण्ड, देहरादून।

प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग,
लैन्सडौन।

कार्यालय वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

पत्रांकः– 331 /12-1 दिनांकित, देहरादून 13/09/2023

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1:– अपर प्रमुख वन संरक्षक/क्षेत्रीय अधिकारी, (उत्तर मध्य क्षेत्र), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, 25 सुभाष रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड़।

2:– प्रमुख सचिव/सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड़, शासन, देहरादून।

3:– प्रमुख वन संरक्षक (हॉफ), उत्तराखण्ड़, देहरादून।

4:– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

5:– मुख्य वन संरक्षक (गढवाल), उत्तराखण्ड़, पौड़ी।

6:– जिलाधिकारी, गढवाल, उत्तराखण्ड़।

7:– अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0– सिचाई खण्ड़, कोटद्वार।

8:– गार्ड बुक।

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सलग्नक-2

आदेश

उपजिलाधिकारी लैन्सडोन ने अपने पत्र संख्या-56/आर0सी0/2020 दिनांक लैन्सडोन 29 अक्टूबर 2020 के द्वारा अपनी जांच आख्या से अवगत कराया है कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत पौखाल-पाण्डलू से खगाणा मोटर मार्ग के म्यूटेशन के सम्बन्ध में जांचोपरान्त पाया गया कि ग्राम खगाणा,पट्टी मल्ला ढांगू-1 तहसील जाखणीखाल के खसरा संख्या- 3411 रक्बा 3.259 है0.जो कि नॉन0जेड0ए0 खतौनी श्रेणी 9(ख) खाता संख्या-5 झाड़ी,उत्तराखण्ड सरकार के नाम दर्ज है इस सिविल भूमि को वन विभाग के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरण हेतु उक्त भूमि पर कोई वृक्ष नही है तथा न ही पथरीली भूमि है,वन विभाग द्वारा उक्त भूमि को पूर्व मे निरीक्षण कर भूमि को वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाया है।

जनपद गढ़वाल के ग्राम खगाणा,पट्टी मल्ला ढांगू-1 तहसील जाखणीखाल के खसरा संख्या- 3411 रक्बा 3.259 है0.जो कि नॉन0जेड0ए0 खतौनी श्रेणी 9(ख) खाता संख्या-5 झाड़ी,उत्तराखण्ड सरकार के नाम दर्ज है इस सिविल भूमि को वन विभाग के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिलाधिकारी,गढ़वाल।

!! कार्यालय जिलाधिकारी गढ़वाल !!

संख्या- R-453 /8-एल0ए0सी0-(2020-2021) दिनांक पौड़ी नवम्बर 20, 2020

प्रतिलिपिः- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- सचिव,राजस्व अनुभाग-1,उत्तराखण्ड शासन,देहरादून।
2- आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3- प्रभागीय वनाधिकारी,गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी।
4- उप प्रबन्धक,एन0पी0सी0सी0 लिमिटेड,पी0आई0यू0 दुगडडा,जनपद गढ़वाल।
5- उपजिलाधिकारी,लैन्सडोन।

कार्यालय वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून
दिनांक 3/8/23

(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिलाधिकारी,गढ़वाल।

प्रमाणित

04/06/2023
PIU
NPCC
PMGSY, DUGADDA
PAURI GARHWAL (U.K)

Scanned with CamScanner

dfosoillansdowne@gmail.com

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण वन प्रभाग,लैन्सडौन।

पत्रांकः– 415 / 12-1 दिनांक,लैन्सडौन, 04/09/2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त,
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषयः– जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना के अंतर्गत पोखाल मांडलु मार्ग से खमाणा, (स्टेज–1) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.628 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। **(Online Proposal no. FP/UK/ROAD/41658/2019)**

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/20/2020/एफ0सी0/280 दिनांक 25.05.2022, आपका पंत्राक 1316/12–1(1) दिनांक 03.12.20232 एंव अधिशासी अभियन्ता एन0पी0सी0सी0 लिमिटेड पी0आई0यू0–दुगड्डा का पत्रांक 447/पी0एम0जी0एस0वाई0/2023/324 दिनांक 04.06.2023

महोदय

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना के अंतर्गत पोखाल मांडलु मार्ग से खमाणा, (स्टेज–1) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.628 हे0 पर भारत सरकार के द्वारा 5 बिन्दुओं पर आपत्तियों के निस्तारण निम्न प्रकार है।

क्र0स0	आपत्ति	निस्तारण
01	सैद्वान्तिक स्वीकृति की शर्त सं0 3 (ख) के सापेक्ष में अधिसूचना से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न के रूप में इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि मंत्रालय द्वारा दिये गये दिशनिर्देश के पैरा 2.4 (i) के अनुसार, विधिवत स्वीकृति से पूर्व भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र (सिविल और सोयम भूमि) को आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप में कृपया अधिसूचित करवाकर प्रमाण पत्र इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी, गढवाल के आदेश सं0–आर–453/8– एल0 ए0 सी0– (2020–2021) दिनाक 20.11.2020 से वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित/हस्तान्तरित सिविल भूमि को शासनादेशसं0–1566/14–2–97–800(11)/1997 दिनांक 17.03.1997 के कम में इस कार्यालय द्वारा (सिविल और सोयम भूमि) आरक्षित /संरक्षित वन घोषित सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है। **(सलग्न–1)**
02	सी.ए. क्षेत्र के mutation से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न के रूप में इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि सी.ए. क्षेत्र का mutation प्रमाण पत्र इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।	इस प्रभाग वन द्वारा सी.ए. क्षेत्र का mutation से सम्बन्धित प्रमाण पत्र इस कार्यालय के पत्रांक 175/12–1 दिंनाक 28.07.2023 से पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है।
03	राज्य सरकार से अनुरोध है कि खतौनी की मूल प्रति इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करे।	इस प्रभाग वन द्वारा खतौनी की प्रति मूल में इस कार्यालय के पत्रांक 175/12–1 दिंनाक 28.07.2023 से पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है।
04	सैद्वान्तिक स्वीकृति की शर्त सं0 3 (ग) के सापेक्ष में यह अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का पालन किया जायेगा जोकि मान्य नही है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि संबंधित वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नही किया गया है।	इस वन प्रभाग द्वारा सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नही किया गया है जिसका प्रमाण पत्र सलग्न कर प्रेषित है। **(छायाप्रति सलग्न–2)**

कार्यालय वन संरक्षक शिवालिक वृत्त
पत्रावली सं0 12-1(1)
रजिस्टर सं0 2617
दिनांक 11/09/2023

	राज्य सरकार धनराशि रू0 1097871/– हेतु संशोधित सी.ए. स्कीम इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।	इस वन प्रभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि रू0 1097871/ का प्राक्कलन इस कार्यालय के पत्रांक 175/12–1 दिनाक 28.07.2023 से पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(नवीन चन्द्र पंत)
प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग,लैन्सडौन

पत्रांक / 12–1, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एंव नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून उत्तराखण्ड।
2. अधिशासी अभियन्ता ,एन0पी0सी0सी0 लिमिटेड पी0आई0यू0–दुगड्डा।

(नवीन चन्द्र पंत)
प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग,लैन्सडौन

त सरकार
र्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
त्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाष: 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

दिनांक: 12/06/2020

पत्र सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/20/2020/एफ0सी0/305

सेवा में,
अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय :जनपद – पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पौखाल मांडलु मार्ग से खमाणा, (स्टेज–1) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.628 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ: अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या– 216/x-3-20/1(28)/2020 दिनांक 14.02.2020

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/ROAD/41658/2019 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा समय–समय पर अतिरिक्त सूचनाये चाही गयी थी, जिसकी अन्तिम अनुपालना अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.), उत्तराखण्ड के पत्र दिनांक 09.06.2020 द्वारा प्रेषित कर दी गई है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत केन्द्र सरकार – जनपद – पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पौखाल मांडलु मार्ग से खमाणा, (स्टेज–1) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.628 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:–

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. प्रतिपूरक वनीकरण:

क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 3.256 हे0 गैर वानिकी भूमि ग्राम खमाणा सिविल खसरा नं0 3411 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें।

ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत विधियत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।

घ) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

4. प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं संरक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।

5. शुद्ध वर्तमान मूल्य

(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.628 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।

Scanned with OKEN Scanner

(ब) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।

6. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 189 trees होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।

7- State Govt. will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2. The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.

8. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।

9. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

10. प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।

11. संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।

12. सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू / एनबीडब्ल्यूएल / एफएसी / आरईसी की सिफारिशों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्र ध्वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करेगा।

13. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।

14. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।

15. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।

16. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकडी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।

17. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।

18. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।

19. इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।

20. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।

21. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।

22. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।

23. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।

24. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।

25. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

26. अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।

भवदीय

(सन्नी गोयल)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ०सी०), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(सन्नी गोयल)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

Scanned with OKEN Scanner

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाषः 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/20/2020/एफ.सी./280 दिनांकः25/05/2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय : जनपद– पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पौखाल मांडलु मार्ग से खमाणा, (स्टेज–1) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.628 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal no. FP/UK/Road/41658/2019)

सन्दर्भः अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या– 2589/ FP/UK/Road/41658/2019 दिनांक 28-04-2022

महोदय,

उपरोक्त विषय पर सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 12.06.2020 द्वारा प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसकी अनुपालना आख्या राज्य सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रेषित की गयी है। जिसके अवलोकन उपरान्त प्रस्ताव में कुछ त्रुटियाँ पाई है। अतः आपसे अनुरोध है कि निम्नाँकित बिन्दुओं पर अभिलेख/दस्तावेज़ इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें :–

1. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं0 3 (ख) के सापेक्ष में अधिसूचना से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न के रूप में इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि मंत्रालय द्वारा दिये गये दिशानिर्देश के पैरा 2.4 (i) के अनुसार, विधिवत् स्वीकृति से पूर्व भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत् क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र (सिविल और सोयम भूमि) को आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप में कृपया अधिसूचित करवाकर प्रमाण पत्र इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।
2. सी.ए. क्षेत्र के mutation से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न के रूप में इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि सी.ए. क्षेत्र का mutation प्रमाण पत्र इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।
3. राज्य सरकार से अनुरोध है कि खतौनी की मूल प्रति इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।
4. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं0 3 (ग) के सापेक्ष मे यह अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का पालन किया जायेगा जोकि मान्य नहीं है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि संबंधित वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

5. राज्य सरकार धनराशि रू0 10,97,871/– हेतु संशोधित सी.ए. स्कीम इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय

25.5.22

(सन्नी गोयल)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

(सन्नी गोयल)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

डिजिटल मैप – जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमन्त्री ग्रामीण सडक योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, पोखाल– मांडलू मोटर मार्ग से खमाणा मोटर मार्ग (4.875 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल ग्राम खमाणा , पट्टी मल्ला ढांगु सिविल सोयम (क्षे0–3.256है0)

0 0.5 1 1.5 Km

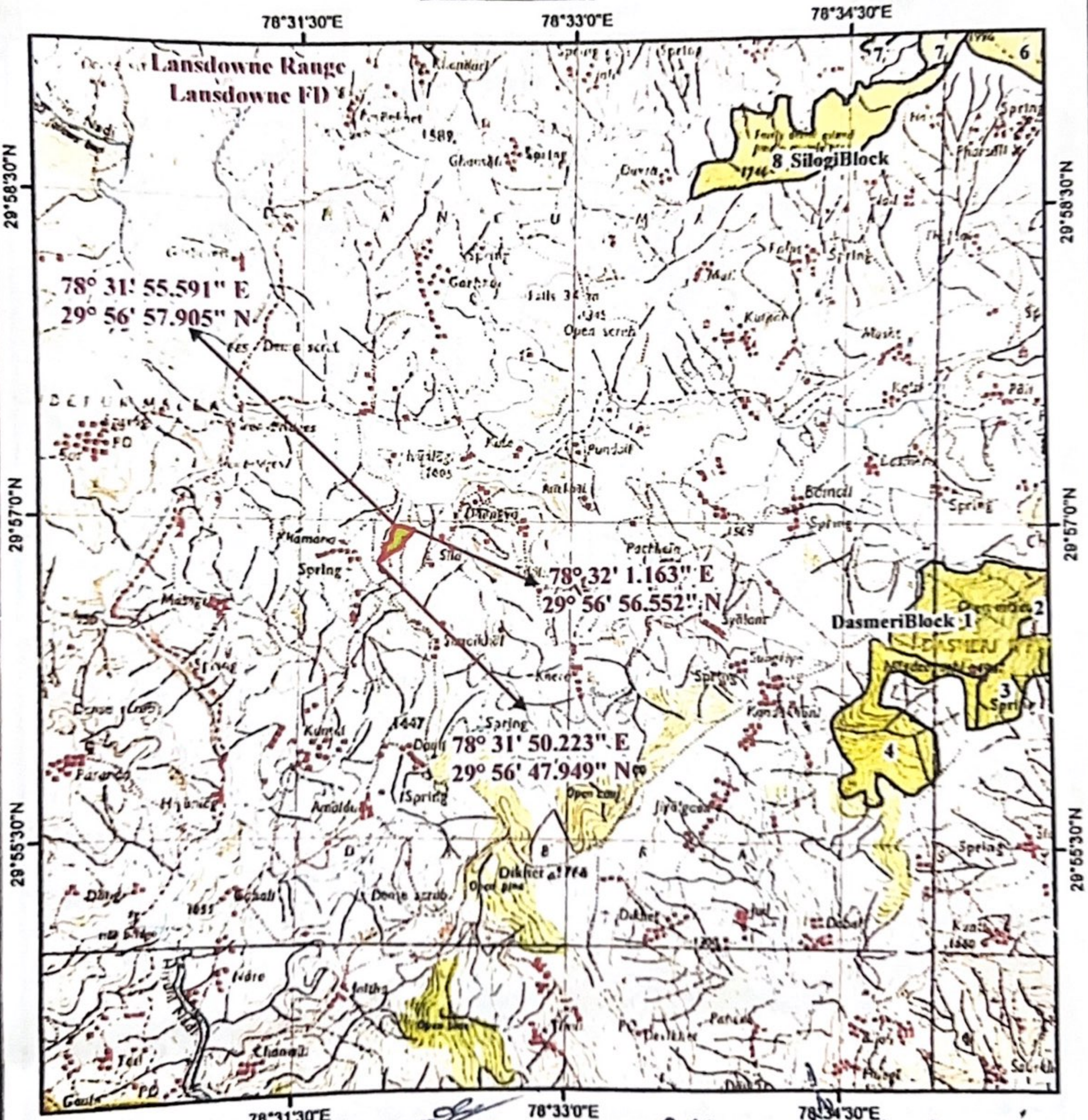

Legend

- Proposed CA Land
- Researve Forest Area
- Researve Forest Boundary
- Forest Range Boundary
- Forest Division Boundary

प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैन्सडौन

वन क्षेत्राधिकारी

Executive Engineer
P.M.G.S.Y.I.D.
Kotdwara-Pauri Garhwal

सहायक अभियन्ता IV

सिंचाई खण्ड,कोटद्वार

डिजिटल मैप – जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमन्त्री ग्रामीण सडक योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, पोखाल– मांडलू मोटर मार्ग से खमाणा मोटर मार्ग (4.875 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु

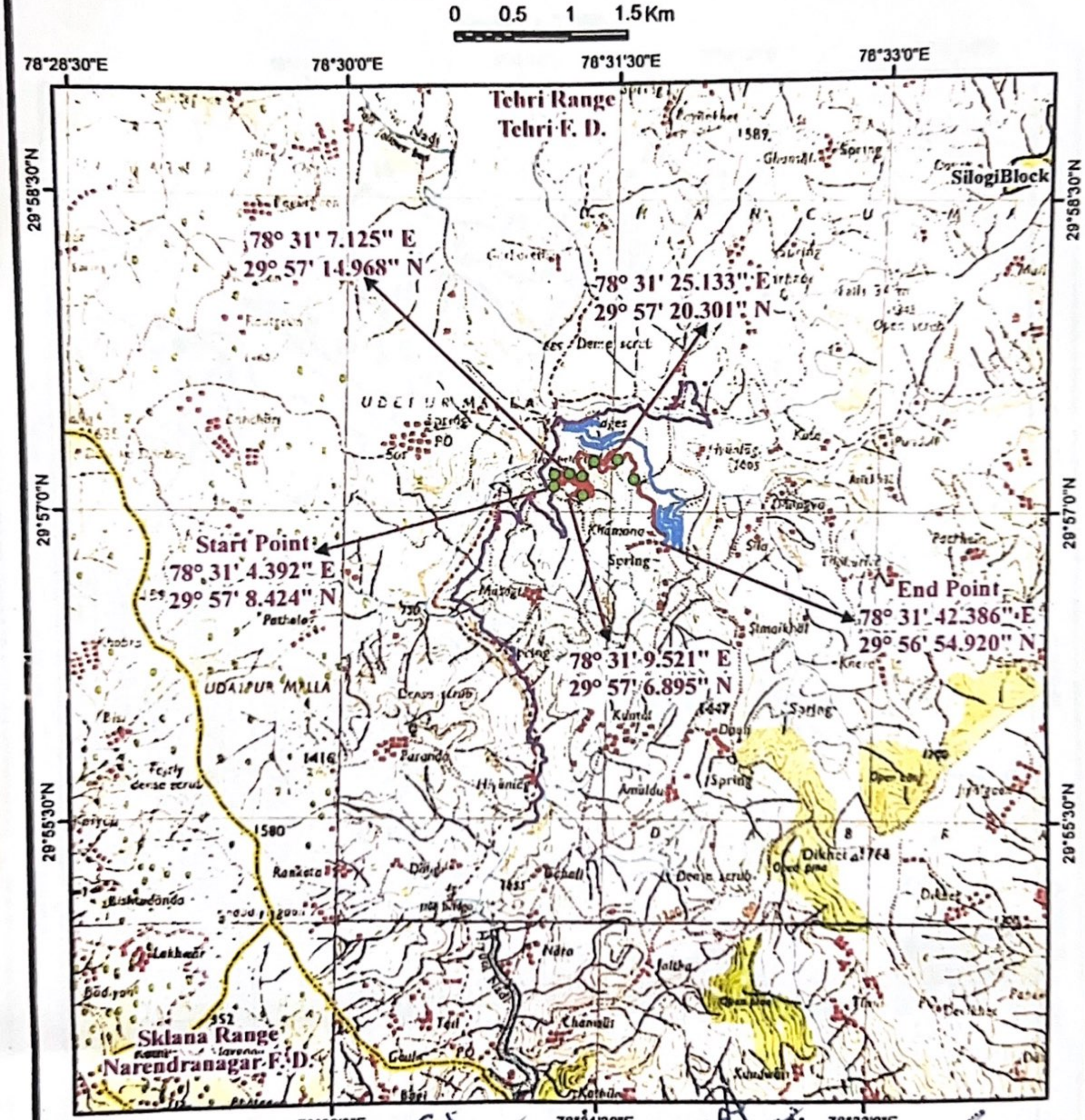

Legend

- Dumping Zone
- Proposed Road
- Alternate Road
- Existing Road
- Researve Forest
- Researve Forest Boundary
- Forest Range Boundary
- Forest Division Boundary

उप प्रभागीय वनाधिकारी

भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैंसडौन

सहायक अभियन्ता IV

P.M.G.S.Y.I.D.

Kotdwara-Pauri Garhwal

तहसीलदार

Scanned by CamScanner

जियोरेफेरेन्स मैप – जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्र्तगत प्रस्तावित, पोखाल– मांडलू मोटर मार्ग से खमाणा मोटर मार्ग (4.875 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु

Scale - 1:7,000

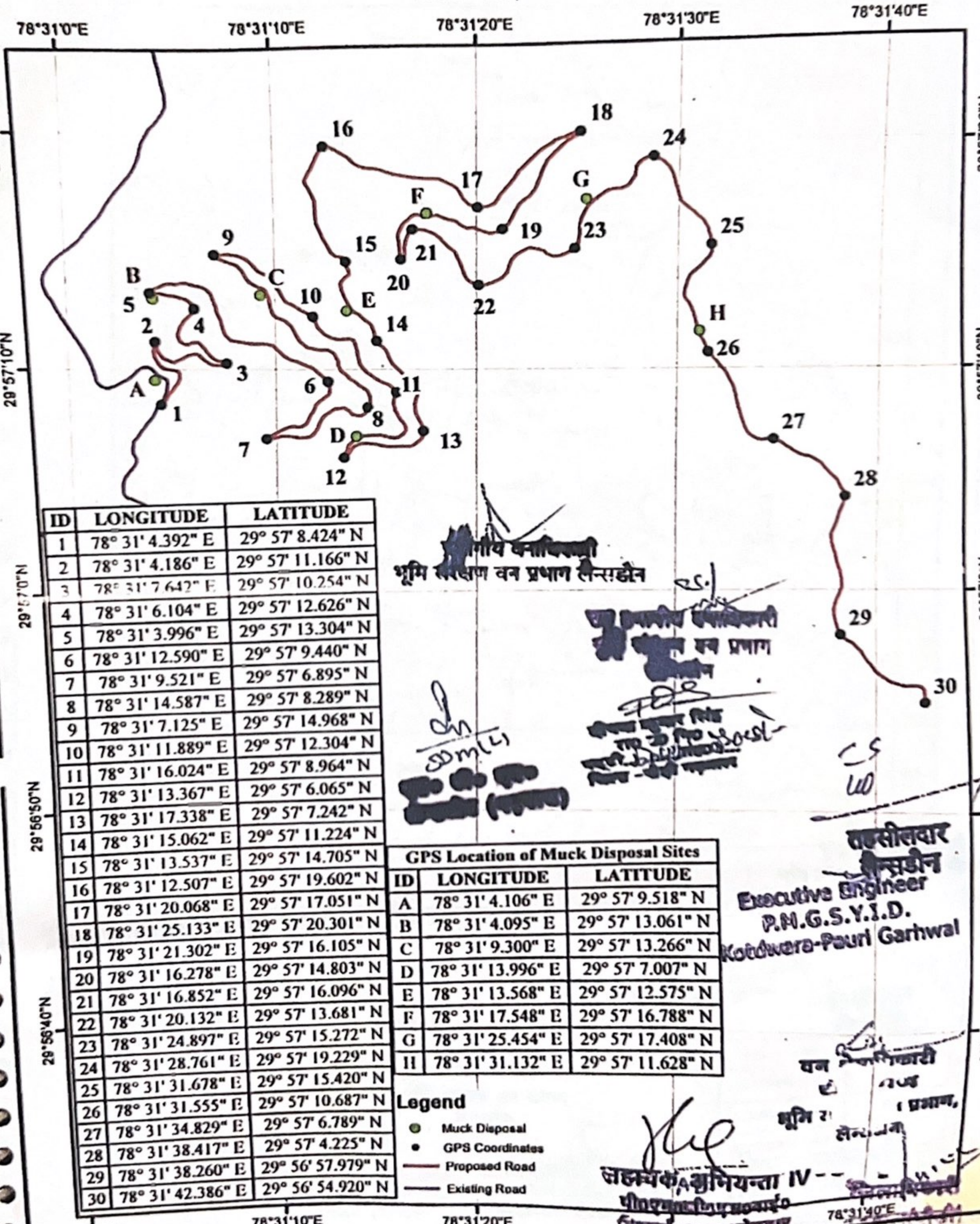

ID	LONGITUDE	LATITUDE
1	78° 31' 4.392" E	29° 57' 8.424" N
2	78° 31' 4.186" E	29° 57' 11.166" N
3	78° 31' 7.642" E	29° 57' 10.254" N
4	78° 31' 6.104" E	29° 57' 12.626" N
5	78° 31' 3.996" E	29° 57' 13.304" N
6	78° 31' 12.590" E	29° 57' 9.440" N
7	78° 31' 9.521" E	29° 57' 6.895" N
8	78° 31' 14.587" E	29° 57' 8.289" N
9	78° 31' 7.125" E	29° 57' 14.968" N
10	78° 31' 11.889" E	29° 57' 12.304" N
11	78° 31' 16.024" E	29° 57' 8.964" N
12	78° 31' 13.367" E	29° 57' 6.065" N
13	78° 31' 17.338" E	29° 57' 7.242" N
14	78° 31' 15.062" E	29° 57' 11.224" N
15	78° 31' 13.537" E	29° 57' 14.705" N
16	78° 31' 12.507" E	29° 57' 19.602" N
17	78° 31' 20.068" E	29° 57' 17.051" N
18	78° 31' 25.133" E	29° 57' 20.301" N
19	78° 31' 21.302" E	29° 57' 16.105" N
20	78° 31' 16.278" E	29° 57' 14.803" N
21	78° 31' 16.852" E	29° 57' 16.096" N
22	78° 31' 20.132" E	29° 57' 13.681" N
23	78° 31' 24.897" E	29° 57' 15.272" N
24	78° 31' 28.761" E	29° 57' 19.229" N
25	78° 31' 31.678" E	29° 57' 15.420" N
26	78° 31' 31.555" E	29° 57' 10.687" N
27	78° 31' 34.829" E	29° 57' 6.789" N
28	78° 31' 38.417" E	29° 57' 4.225" N
29	78° 31' 38.260" E	29° 56' 57.979" N
30	78° 31' 42.386" E	29° 56' 54.920" N

GPS Location of Muck Disposal Sites

ID	LONGITUDE	LATITUDE
A	78° 31' 4.106" E	29° 57' 9.518" N
B	78° 31' 4.095" E	29° 57' 13.061" N
C	78° 31' 9.300" E	29° 57' 13.266" N
D	78° 31' 13.996" E	29° 57' 7.007" N
E	78° 31' 13.568" E	29° 57' 12.575" N
F	78° 31' 17.548" E	29° 57' 16.788" N
G	78° 31' 25.454" E	29° 57' 17.408" N
H	78° 31' 31.132" E	29° 57' 11.628" N

भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैन्सडौन

तहसीलदार
लैन्सडौन

Executive Engineer
P.M.G.S.Y.I.D.
Kotdwara-Pauri Garhwal

सहायक अभियन्ता IV
सिंचाई उपखण्ड, कोटद्वार

NAME OF WORK :- ALIGNMENT OF DABOLI TO KHAMANA MOTOR ROAD
LENGTH OF ROAD :- 4.875 km.

प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैन्सडौ

ALIGEMENT-1 IS RECOMENDED FOR SANCTION SHOWN IN RED.

Topo sheet No.- 53 k-9

SCALE:-1:50,000

वन क्षेत्राधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग,
लैन्सडौन

उप प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग
लैन्सडौन

तहसीलदार
लैन्सडौन

S.NO.	ALIGEMENT	COLOUR
1.	ALIGNMENT-1.	
2.	ALIGNMENT-2.	
3.	EXISTING ROAD	

J.E.

जिलाधिकारी
गढ़वाल (पौड़ी)

A.E.
सहायक अभियन्ता तृतीय
सिंचाई खण्ड (लो०नि०वि०)
कोटद्वार (गढ़वाल)

E.E.
Executive Engineer
P.M.G.S.Y.I.D.
Kotdwara-Pauri Garhwal

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं वन संरक्षण नियमावली 2000 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/41658/2019 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पौखाल माण्डलू से खमाणा मोटर मार्ग के लिये वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त 3.256 है0 भूमि (सिविल/सोयम/बंजर/अवनत वन/अन्य वन) इत्यादि राजस्व विभाग के स्वामित्व से वन विभाग के स्वामित्व में कार्यालय जिलाधिकारी पौडी गढवाल के पत्रांक आर–453/8–एल0ए0सी0 (2020–2021) दिनांक 20.11.2020 से हस्तान्तरित /आवंटित कर वन विभाग के पक्ष में अमल दरामद करा दी गयी है। उक्त तभूमि का खसरा खतौनी में स्वामित्व वन विभाग के नाम पर दर्ज करा दिया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेत इसका कब्जा वन विभाग द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। उक्त भूमि भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–4/20/29 के अन्तर्गत संरक्षित/आरक्षित वन क्षेत्र घोषित है।

प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लैन्सडौन।